

## मौसम का हाल



मौसम करवटें बदलता रहेगा। इस सप्ताह मौसम जहां मैदानी एवं मध्य क्षेत्रों में 1,2,3 जुलाई तक हल्की वर्षा एवं गर्जना भरा रहेगा वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एक जुलाई को मौसम हल्की वर्षा भरा होगा जबकि 2 और 3 जुलाई को मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद फिर से मौसम बदलेगा तथा मॉनसून पूर्व की आहट हल्की वर्षा और गर्जना के साथ होती रहेगी।

# द रीव टाइम्स

## The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 1/ अंक 24/ पृष्ठ: 16

मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com कार्य वही उत्तम श्रेणी में स्थान पाता है जिसे आपकी आत्मा भी स्वीकार करें : डॉ. एल.सी. शर्मा



द रीव टाइम्स में अन्दर पढ़ें.....

- पृष्ठ 2... हिमाचल समाचार
- पृष्ठ 3 से 6... ज़िलावार खबरें
- पृष्ठ 7... कानून एवं स्वास्थ्य
- पृष्ठ 8... संपादकीय: CAN HIMACHAL BECOME LIQUOR FREE STATE?
- पृष्ठ 9... अभिव्यक्ति: जलने लगी है धरती... विनाश के स्पष्ट संकेत
- पृष्ठ 10... प्रादेशिक हिमाचल संपूर्ण
- पृष्ठ 11... राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 12... अंतर्राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 13... समसामयिक
- पृष्ठ 14... योजनाएं - सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी है अनमोल योजना
- पृष्ठ 15... सोलर चरखा मिशन योजना
- पृष्ठ 16... रोचक समाचार

THE RIEV TIMES  
OFFICIAL MEDIA PARTNER



Dear Industry Colleagues,

We are pleased to inform you that 3rd Krishi and Wellness India 2019 Expo is being held from 06 to 08 August 2019 at Pragati Maidan, New Delhi. The show is organized by Exhibitions India Pvt. Ltd and Co-organised by India Trade Promotion Organisation (ITPO).

### BIOTECH

Biotech is the use of living systems to manufacture products intended to improve the quality of life of people. In 2016, Indian biotech industry was US\$ 11 billion and is expected to reach annual revenues of US\$ 100 billion by 2025.

### ORGANIC

Organic products include food and drink, medicines, herbals, textiles, etc., grown or produced without chemicals, synthetic fertilizers/pesticides/other synthetic inputs. In 2017-2018, India produced around 1.70 million MT of certified organic products which includes all varieties of food products namely Oil Seeds, Sugar cane, Cereals & Millets, Cotton, Pulses, Medicinal Plants, Tea, Fruits, Spices, Dry Fruits, Vegetables, Coffee etc. During 2017-18, India exported 4.58 lakh MT. of organic edible products worth 515.44 million USD to USA, European Union, Canada, Switzerland, Australia, Israel, South Korea, Vietnam, New Zealand, Japan etc.

### HEALTH & WELLNESS

Indians are moving towards fitness and overall well-being to keep themselves stress free and healthy. In 2015-16, the Indian health & wellness market was estimated at US\$ 9.5 billion and is estimated to grow by 20-30 per cent year on year.

### ALTERNATIVE MEDICINE

India's alternative medicine market was estimated at US\$ 1.8 billion in 2016. The Government of India has set up a dedicated department for Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) to provide impetus to these ancient healthcare systems.

### KEY HIGHLIGHTS

Exhibitors	Brands	Delegates
200+	500+	800+
Speakers	Visitors	
65+	10,000+	


We would be delighted to have you as an exhibitor at Krishi and Wellness India Expo 2019

## कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में स्मार्ट क्लास रूम के बाद आसाम, बिहार व पश्चिम बंगाल में भी आईआईआरडी शुरू कर रहा स्मार्ट क्लास रूम

### बेहतर और गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर सराहनीय पहल

द रीव टाइम्स: हेम राज चौहान

आई आई आर डी के स्मार्ट क्लास रूम पर भारत के विभिन्न राज्यों में किए गए प्रयासों को सराहना मिल रही है। इसी प्रयास में अब आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए संस्था स्मार्ट क्लास रूम शुरू करने जा रही है। आरंभिक तौर पर आसाम के 30 विद्यालय इससे लाभान्वित होंगे। इन स्कूलों में 60 स्मार्टक्लास रूम स्थापित किये जा रहे हैं। इससे सरकारी विद्यालयों के बच्चों को गुणवत्ता तथा तकनीक शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। इन स्मार्ट क्लास रूम में अत्याधुनिक तकनीक से लर्निंग करवाई जाएगी। कंप्यूटर, बोर्ड, कैमरा आदि से लैस इन



क्लास रूम से उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आसाम में अंग्रेजी और असमिया भाषाओं का प्रयोग होगा। जबकि बिहार एवं पश्चिम बंगाल में स्थानीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसमें सरकारी स्कूल तो शामिल हैं ही साथ ही ग्रामीण क्षेत्र और दूर-दराज के क्षेत्र भी शामिल है

जहां के बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे। पढ़ाई के अनुभव को और अधिक गुणवत्ता आधारित करने व तकनीक का सदुपयोग करना भी इसका एक बड़ा उद्देश्य है।

विदित हो कि आईआईआरडी भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार इस प्रकार के स्मार्ट क्लास रूम गैल के सौजन्य से स्थापित करने की सफल कोशिश में है। इससे पूर्व कर्नाटक के धारवाड़ में 40, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 20 तथा मध्यप्रदेश के सागर और विदिशा में 20 स्मार्ट क्लास रूम स्थापित कर प्रशंसनीय प्रयास कर चुका है। इसके बाद अब आसाम में भी इसे शुरू किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी भविष्य में इस प्रकार के स्मार्ट क्लास रूम शुरू करने की योजना है।

## बसंतपुर, ननखड़ी और नारकंडा विकास खंड में मिशन रीव का जन-अभियान

### पंचायत जन प्रतिनिधियों एवं लोगों से बैठक कर जानकारी की साझा

### मिशन रीव और एनएसडीसी प्रशिक्षण के अलावा रीव सलाहकार बोर्ड के गठन पर भी हुई चर्चा

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

मिशन रीव 2 का गांव-गांव में लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य अपनी नायाब सेवाओं के साथ शिमला ज़िला के विभिन्न विकास खण्डों में जारी है। इस अनूठे प्रयास से लोगों को घर-द्वार पर सेवाओं के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से मिशन रीव के सदस्य विभिन्न विकास खण्डों में जन प्रतिनिधियों से मिले। विगत माह में टीम रीव मशोबरा विकास खण्ड की समस्त 48 पंचायतों में जन प्रतिनिधियों से मिलकर मिशन रीव की जानकारी एवं रीव एसोसियेट की भर्तियों के बारे में चर्चा कर चुकी है जहां से लोगों की बहुत ही सराहनीय प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। उसके बाद विकास खण्ड ननखड़ी, नारकंडा एवं बसंतपुर में जनप्रतिनिधियों तथा लोगों से मिलकर चर्चा की गई।

### विकास खण्ड ननखड़ी



विकास खण्ड ननखड़ी के अंतर्गत मिशन रीव की टीम के सदस्यों से विकास खण्ड में जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। बैठक में प्रधान एवं अन्य सदस्यगण शामिल हुए।

इस अवसर पर स्थानीय पंचायतों के लोगों ने भी भाग लिया। मिशन रीव की जनहित सेवाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। साथ ही लोगों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का आकलन भी किया गया। लोगों को मिशन रीव की सेवाओं पर विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता से जुड़े लोग भी शामिल थे। ननखड़ी में मिशन रीव की टीम के सदस्यों में आनंद नायर एवं अंकुश नगरैक शामिल थे। बैठक में शिवदासी, कुलदीप सिंह, शमशेर ठाकुर, मोहन लाल, गोपाल मेहता, देवी सिंह, अंजना नेगी और जवाहर ठाकुर बतौर प्रतिनिधि शामिल रहे।

### विकास खण्ड बसंतपुर

विकास खण्ड बसंतपुर में भी मिशन रीव ने अपनी सेवाओं को ले जाने के लिए जन प्रतिनिधियों एवं लोगों से चर्चा की। इसके अलावा आम लोग भी इस बैठक में भारी संख्या में शामिल हुए। लोगों ने मिशन रीव संस्करण एक पर भी अपने सवाल किए तथा अपनी जिज्ञासाओं को सामने रखा। कुछ लोगों ने कहा कि सदस्य बनने के बाद भी उन्हें पूर्ण सेवाओं का लाभ नहीं मिल सका। लेकिन मिशन रीव 2 में उन कमियों को पूरा करते हुए 'दिल से सेवा दिल से भुगतान' के प्रारूप को



आधार बना कर आम लोगों के दुःख तकलीफों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही समस्त समस्याओं को 10 प्रभागों में विभाजित कर उनकी जिम्मेवारी को भी साझा करने की कोशिश है। पंचायत स्तर से उपरी स्तर तक रीव सलाहकार बोर्ड का गठन भी होगा जिसमें समाज के बुद्धिजीवियों के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। मिशन रीव की सेवाओं व लोगों के बीच रीव सलाहकार बोर्ड पुल का कार्य करेगा।

### विकास खण्ड नारकंडा



विकास खण्ड नारकंडा में भी मिशन रीव ने लोगों तथा जन प्रतिनिधियों से मिलकर चर्चा की। मिशन रीव लोगों का घर-द्वार पर समस्त सेवाओं के साथ अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करने में आम लोगों के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों के सहयोग को किस प्रकार ले सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में विकास खण्ड अधिकारी सहित सचिव भी शामिल हुए। मिशन रीव की सदस्यता के अलावा रीव एसोसियेट्स की भर्ती एवं सलाहकार बोर्ड के गठन पर जानकारी दी गई। इस टीम में मिशन रीव की ओर से एस.के. दत्त एवं मीनाक्षी ने भाग लिया।

### मिशन रीव का स्वच्छता अभियान



शिमला ज़िला के जुबुल विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बढाल में मिशन रीव के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में अव्यवस्थित रूप से फैले कूड़े को एकत्रित कर एक स्थान पर इसका निदान किया गया। साथ ही लोगों से मिलकर उन्हें स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया। इस अभियान में मिशन रीव टीम के सदस्यों गौरव शर्मा, यशवंत और लेखराज ने भाग लिया।

### ग्राम पंचायत पुजारली



ग्राम पंचायत पुजारली में भी मिशन रीव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर रीव की जानकारी प्रदान की। पुजारली में प्रधान एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के अलावा ग्राम सभा सदस्यों ने भी भाग लिया। मिशन रीव पर लोगों ने अपनी बातें साझा की तथा इस नायाब प्रयास की तारीफ की और हर संभव सहयोग की बात भी कही। इस टीम में आनंद नायर, मेहरीन इकबाल, अनुपमा एवं अंकुश ने भाग लिया।













# CAN HIMACHAL BECOME LIQUOR FREE STATE?

प्रधान संपादक की कलम से.....



The practice of government machinery to keep people in illusion is not new and the country has been witnessing the same for long. Political parties used to keep on fueling the burning social issues

and seek public support to resolve such issues. However, there is little change in the thought of the newly emerging leadership unlike Pakistan where any political party wins in the name of making Kashmir free from India, seriousness of making the country or state progressive is reflected. However, the outcome depends upon the dynamism of the leadership. The voters of the country are also gradually becoming more awakened. But the problem lies somewhere else. In fact, the country is getting distortion, not because of the mischievous thoughts of the people with ugly attitude, but because of the silence of the good people. Majority of the reasonable and genuine people just change their route when encountered with some social irritants and remain busy in their own affairs while keeping on cursing the system which is left to its fate for manipulation by the so called clever class managing all affairs.

In its role to manage finance for the development of the state, the government tries to mobilise the resource as per available avenues apart from loans from international bodies. One of the prominent sources of the revenue collection (in case of Himachal Pradesh) is the revenue from the auction of the Liquor shops which counts to more than 5% of the total estimated annual revenue

collection of the state (as per budget 2019-20). As it is an established fact that our society has culture of getting highly intoxicated in drink parties. Majority of the crimes and quarrels are result of the drinking parties. Apart from this, the consumption of heavy doses of liquor create individual health hazards and further disturb family life besides extra pressure on the hospitals. Ironically, there are many campaigns run by the government on drug addiction and

is very low. This is just like creating problem and then working towards its remedies. This is unfortunate part that the government machinery tries to earn by sale of wine. It is yet to be understood that whether government needs well-being of the people or revenue. Wine with well-being objective cannot travel together. If the revenue generation is the only objective, why should not we allow the opium and cannabis grower to earn money publically, which few are still doing it silently. Why should not the wine makers in villages be licensed to produce and sell wine publically and pay tax to the government. Let government declare wine making as SME. By issuing licenses to sell the red wine produced by big industrialists through big

**कच्ची घाटी में आश्रम के पास टेके का विरोध**  
लोगों ने की दूसरी जगह खोलने की मांग, कहा, आश्रम में सस्ते के लिए आते हैं सेकड़ों ब्रह्मदत्त

**कच्ची घाटी में शराब पर बवाल**  
टेके के विरोध में महिलाओं सहित सड़कों पर उतरे ग्रामीण

**रातों रात तीन के दारे में खोल दिया ठेका, सुबह लोग भड़के**  
कच्चीघाटी में सस्ते भवन के गेट के साथ खोल दिया शराब का ठेका

**टेका खुलने पर भड़के कच्चीघाटी के लोग**  
कच्चीघाटी में टेका खुलने के विरोध में प्रदर्शन

धार्मिक संस्थानों के आसपास भी सरकार खुलवा रही है शराब के टेके, जन विरोध भी सरकार की नींद नहीं जगा पाता

awareness against wine and others. IIRD through Mission RIEV has also completed first phase of the state wide "say no to drugs" campaign during the year 2018 as its voluntary action. Recently there was a case of removing wine shop set up in front of a Satsang Ashram in Shimla. Despite people's agitation and dharna pradarshan, the government did not wind up the wine shop until got removed by the nature's intervention in shape of heavy landslide. There are usually dharnas especially by the women to remove the wine shops from their villages but the success rate of such dharnas

machineries and treating culprits for suing the poor people producing wine through conventional methods, the government is bringing disparity to support the rich and harass the poor. This dilemma will always remain. Why should not government ban on the sale of the liquor in the state and make the state "Liquor Free". But such action requires political will and exceptional dare in the people in governance which is yet to be witnessed by the people of Himachal Pradesh.

**Dr. L.C. Sharma**  
Editor in Chief  
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

## जीवन के लिए घातक है शराब ....जानें कुछ रोचक तथ्य

प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाने की प्रक्रिया और तेज कर दी। इसी युद्ध को जीतने के बाद **East India Company** का एक अफसर फ्रांसिस ब्रेकन भारत आया जिसने बंगाल को लूटने में कंपनी की सहायता की, वह ब्रिटेन वापिस गया और समय-समय पर संसद में होने वाली बहस में हिस्सा लेता रहता था। एक ऐसी ही बहस में, जिसमें मुद्दा था कि भारत के चारित्रिक पतन की प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाये जा रहे हैं, उसने हिस्सा लिया। भारत भूमि में जन्मा व्यक्ति कोई श्री कृष्ण तो कोई, श्री राम, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, कोई ऋषि मुनि, तो कोई क्रान्तिकारी बन जाता है। चूँकि भारत सांस्कृतिक और अध्यात्मिक धरातल पर बेहद शक्तिशाली राष्ट्र है इसलिए वे उसे तोड़ने में कुछ खास तो नहीं कर पाये हैं परंतु इस विशालकाय मजबूत दीवार में एक छोटे से छेद के तौर पर उन्होंने बंगाल में एक शराब का ठेका खुलवा दिया है। उसने आगे कहा कि 1760 से पहले भारत में कोई शराब नहीं पीता था। 1760 के बाद उन्होंने शराब की पहली दुकान का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया। ब्रेकन ने ठेकेदार से पूछा कि क्या भारतीय शराब पीते थे तो उसने जवाब दिया कि नहीं! क्यों नहीं पीते थे? ठेकेदार बोला उसके 3 कारण हैं: भारतीयों के



लिए शराब पीने का मतलब अपना धर्म भ्रष्ट करना है। भारत की जलवायु उन्हें शराब पीने से रोकती है। शराब सबसे तुच्छ पेय है जो मनुष्यों के लिए नहीं है। इस शराब की दुकान की कई अन्य शाखाएं कुछ ही सालों में पूरे बंगाल में खुल गयीं। यह वार्ता है सन् 1832 की जिसमें ब्रेकन ठेकेदार से हुई बातचीत के अंश प्रस्तुत कर रहा है। ठेकेदार से आगे पूछने पर पता चला कि भारतवासी अब कितनी शराब पी रहे हैं? जवाब मिला कि इस दुकान के पिछले मालिक तक यहाँ सिर्फ अंग्रेज ही आकर शराब पीते थे लेकिन अब यहाँ भारतीयों की भरमार है। इन्होंने कब से इतनी शराब पीनी शुरू कर दी और क्यों? ठेकेदार बोला कि इनके चरित्र तो ऊंचे थे परंतु ये हमारे बहकावे में फँस गए हमने इन्हें तरह तरह के लालच देकर इनकी वासना को अग्नि दी जिसके कारण ये ठेकों की तरफ आकर्षित हैं। आरम्भ में भारतीय चोरी

छिपे पीते थे और बाद में धीरे धीरे ये खुले आम होता चला गया। आज मंजर यह है कि शराब न पीने वाला नास्तिक समझा जाता है। हमारा अधिकांश युवा समुदाय इसकी चपेट में है। 1832 तक भारत में शराब की 350 दुकानें थीं और जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तब भारत में 1500 शराब के ठेके थे। एक अनुमान के मुताबिक आज ऐसी करीब 30 हजार दुकानें हैं। ये तो वैध दुकानें हैं, अवैध दुकानें इनसे भी ज्यादा हैं। हर मोहल्ले में एक ठेका आपको मिल जाएगा। दूध मिले न मिले पर शराब आपको मिल ही जाएगी। शराब पीकर आदमी बेटी, बहु, बहन और पत्नी में अंतर भूल जाता है 98 से 100 फीसदी बलात्कार शराब के नशे में होते हैं और इनका लाइसेंस आज भी सरकार से ही मिलता है। अंग्रेज ये बात जानते थे कि शराब देवता को दानव बनाने में देर नहीं लगाती, इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम हमें तोड़ने की दिशा में जो किया वह था शराब का हमसे परिचय। गोरे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने की नीति बनाई और सरकार उसी नीति का पूर्ण निष्ठा से पालन कर रही है। भारत में लगभग 80 करोड़ लीटर शराब पैदा की जाती है, लगभग 5-7% भारतवासियों में शराब की ऐसी बुरी लत है कि वे उसके बिना जी नहीं सकते।



## कार्यस्थलों पर शोषण का खात्मा कब होगा...

# आदमी की शक्ल में भेड़ियें सड़कों से कार्यस्थलों तक लार टपकाना कब करेंगे बंद

## मनु के भारत में रोज़ शर्मसार होती नारी

**यज्ञ पुज्यंते नारी रमंते तत्र देवता.....** कहावत है, कहावत में ही ठीक लगती है। देश में नारी अस्तित्व का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है जिसे आज की लार टपकाती पुरुष प्रधान कुंठित और हवस संचित समाजिक सोच से तहस-नहस किया जा रहा है। पैदा होती बच्चियां उधेड़ी जा रही हैं तो सड़क पर महिलाओं को खेलने की वस्तु समझने वालों की भी एक लंबी भीड़ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या में एक तो ये भी है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का ढोल पीटने वाले समाज में आज कार्यस्थलों पर सेवाएँ दे रही महिला कर्मचारियों एवं अधिकारियों तक को किसी न किसी प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। कार्यालयों में बैठे इन वहशी सोच के दरिंदों को न तो कायदे-कानून की फिक्र है न ही मर्यादाओं की समझ। ऐसे में एक महिला जो किसी भी घर-परिवार का आधार स्तंभ है, नौकरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। उसे कार्यालयों में अपने शीर्ष अधिकारियों अथवा साथ काम करने वालों की शारीरिक एवं सांकेतिक प्रताड़ना सहने के लिए विवश होना पड़ता है।

ऐसी खबरों की बहुतायत रोज़ सुर्खियां बनती है जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं को इस प्रकार की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। यहां प्रश्न यह है कि कुछ महिलाएँ तो इसका विरोध करती हैं लेकिन अधिकतर अपनी नौकरी और अपमान को देखते हुए आगे नहीं आ पाती है जिससे अकारण ही ये सब सहना पड़ता है। सरकार की भूमिका इसमें यदि केवल नियम बनाने तक सीमित है तो क्या उन नियमों पर अमल की कोई उम्मीद रखी जानी चाहिए? यहां सरकार का पक्ष भी नाउम्मीदों को जन्म देता है। क्योंकि यदि वरिष्ठ अधिकारियों के पास कोई इस प्रकार की शिकायत आती भी है तो उस पर कोई ठोस अथवा पारदर्शी कार्यवाही होगी...इसमें शंका ही रहती है।

मुझे याद है एक घटना जो कि किसी विभाग के एक ऐसे अधिकारी की है जिसने अपने ही विभाग की एक कर्मचारी को मानसिक एवं अन्य प्रकार की प्रताड़ना करने के लिए हमेशा परेशान किया। इतना ही नहीं कार्यालय दूर-दूर होने के बावजूद वो अधिकार महिला कर्मचारी को उनके कार्यालय में बेवक्त ही रोज़ पहुंचकर मानसिक प्रताड़ना देता रहा। इस प्रकार के अनैतिक व्यवहार से वो महिला मानसिक रूप से परेशान रहने लगी और परिवार और नौकरी में सामंजस्य बिठाना उसके लिए मुश्किल सा हो गया। क्योंकि वो अधिकारी कभी भी उनके कार्यालय में पहुंच जाता और कभी भी फोन पर तंग करने से बाज नहीं आता था। इससे वो महिला कर्मचारी ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी परेशान हो गया। और उस महिला कर्मचारी को परामर्श केन्द्रों और दवाईयों की सहायता लेनी पड़ी। एक महिला के लिए उसका सम्मान और निर्भिक जीवन बहुत मायने रखता है लेकिन उस नीची सोच के अधिकारी ने इस प्रताड़ना को जारी रखा। महिला के शिकायत करने के बाद भी वो अधिकारी बाज नहीं आया और न ही उच्च अधिकारियों ने इस पर कोई भी

जाना चाहिए ?

ऐसे ही एक अन्य संस्थान में एक घटना में मुझे स्वयं भी शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि वहां भी महिला कर्मचारी से स्टाफ देर रात तक काम लेता था तथा एक दिन कुछ इस प्रकार की घटना हो जाती है कि महिला कर्मचारी अपने कार्यालय में जाने से भी डरती है। क्या इस प्रकार के माहौल में महिलाओं को कार्यस्थल पर शोषण हमें नीचता ही हदों से बाहर नहीं ले जा रहा है ? क्या 21वीं शताब्दी के भारत में महिलाओं को कहने की आज़ादी है और जब वास्तविकता से सामना हो तो उन्हें हवस की गंदी आंखों का सामना क्षण-प्रतिक्षण करना पड़ेगा ? क्या इस प्रकार हम आधी आबादी को सुरक्षित करने के खोखले वायदों को निभाने में पौरुष का परिचय देंगे ? यह बेहद शर्मनाक है।

भारत को विश्व में पहले से ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई शर्मनाक तमके मिल चुके हैं। यहां तक कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारत को सुरक्षित नहीं माना जाता है। इस पर जो फज़ीहत होती रही है उससे कई बार हमें वैश्विक स्तर पर शर्मसार होना पड़ा। जिस आधी आबादी को हम बराबरी का हक देने की बात करते हैं उसे इस प्रकार यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, इस पर मंथन करना आवश्यक हो जाता है। जहां तक सरकार की बात है तो समय-समय पर कानून और नियमों में महिलाओं को



सुरक्षा की गारंटी की फुलझड़ियां छोड़ दी जाती है। अमल के नाम पर कुछ अधिक उम्मीदें बांधना ग़लत ही होगा। कार्यस्थल पर तनावमुक्त माहौल और प्रताड़ना से सुरक्षा हेतु विधेयक पास किया गया जिसके अंतर्गत शिकायतों का निपटारा 90 दिनों के भीतर किया जाना है। प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार का जुर्माना लगाने की व्यवस्था है। इस विधेयक में घर में काम करने वाली सहायिकाओं को भी शामिल किया गया है।

देश में 'मी टू' अभियान ने बड़े-बड़ों की पोल जब खोली तो कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें आरोप लगे कि किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण किया जाता रहा है। अब इसमें सबकी ओर से कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय हो सकता है लेकिन धुंआ उठने का तात्पर्य आग लगने से ही होता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है तथा इस बात को सुनिश्चित बनाने में भरसक प्रयास कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार घटना घटित न हो। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देकर इसे सरकार की प्राथमिकता कहा। तो क्या प्रधानमंत्री की ये बात आज हुबहु लागू भी हो रही है। कार्यस्थलों पर अथवा इसके दायरे से बाहर भी महिलाओं के शोषण के मामलों में कमी तो दिखाई नहीं दे रही है। निचले स्तर से उपरी स्तर तक कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी नैतिकता को ताक पर रख कर महिलाओं को अपनी गंदी सोच के कारण प्रताड़ित करने से बाज नहीं आते। ऐसी विक्षिप्त सोच के लोगों पर कानून का कोई असर नहीं होता क्योंकि उन्हें मालूम है कि महिला या तो सामाजिक डर और निंदा के कारण या तो शिकायत ही नहीं करेगी अथवा शिकायत होने पर कार्यवाही न के बराबर ही होनी है।

महिलाओं को हमारा कानून दस्तावेज़ों में कई महत्वपूर्ण



शक्तियों से नवाज़ता है। इन कानून को जानना आज महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। महिला अपनी शिकायत को दर्ज़ करवा सकती है। यदि वो थाने में नहीं जाना चाहती है तो डाक द्वारा भी अपनी शिकायत को प्रेषित कर सकती है। यदि महिला अपना नाम नहीं बताना चाहती तो भी शिकायत दर्ज़ होगी। गोपनीयता के लिए महिला अकेले महिला पुलिस अधिकारी अथवा दंडाधिकारी के पास ब्यान दर्ज़ करवा सकती है। यदि लोकलाज या निंदा की चिंता कर महिला चुपचाप कार्यस्थल अथवा अन्यत्र इस शोषण को सहती रही तो आने वाले समय में असुरक्षा का ऐसा माहौल तैयार होगा कि इसे रोकना दस्तावेज़ी कानूनों के बस की बात नहीं रह जाएगी।

### ये भी रस्वें ध्यान..... कार्यस्थल पर प्रोटेक्शन

वर्क प्लेस पर भी महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार मिल हुए हैं। सेक्शुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा जजमेंट के तहत गाइडलाइंस तय की थीं। इसके तहत महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस तमाम सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में लागू है। इसके तहत एंप्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करे।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिशानिर्देश बनाए हैं। एंप्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी है कि वह सेक्शुअल हैरेसमेंट को रोके। सेक्शुअल हैरेसमेंट के दायरे में छेड़छाड़, गलत नीयत से स्पर्श करना, सेक्शुअल फेवर की डिमांड या आग्रह करना, महिला सहकर्मी को पॉर्न दिखाना, अन्य तरह से आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है। इन मामलों के अलावा, कोई ऐसा ऐक्ट जो आईपीसी के तहत ऑफेंस है, की शिकायत महिला कर्मी द्वारा की जाती है, तो एंप्लॉयर की ड्यूटी है कि वह इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अर्थोरेटि को शिकायत करे।

कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि विक्रिम अपने दफ्तर में किसी भी तरह से पीड़ित-शोषित नहीं होगी। इस तरह की कोई भी हरकत दुर्व्यवहार के दायरे में होगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रत्येक दफ्तर में एक कंसेंट कमिटी होगी, जिसकी चीफ महिला होगी। कमिटी में महिलाओं की संख्या आधे से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, हर दफ्तर को साल भर में आई ऐसी शिकायतों और कार्रवाई के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना होगा। मौजूदा समय में वर्क प्लेस पर सेक्शुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए विशाखा जजमेंट के तहत ही कार्रवाई होती है। इस बाबत कोई कानून नहीं है, इस कारण गाइडलाइंस प्रभावी है। अगर कोई ऐसी हरकत जो आईपीसी के तहत अपराध है, उस मामले में शिकायत के बाद केस दर्ज़ किया जाता है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होती है।

बहरहाल, महिलाओं के प्रति इस दुर्व्यवहार और सोच को बदलने की आवश्यकता है। महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रह कर अपने प्रति हो रही हर ग़लत हरकत का विरोध करना होगा। विशेषकर कार्यस्थल पर इस प्रकार की प्रताड़ना का पुरजोर विरोध एवं उचित तरीके से उसका प्रतिकार कानून का सहारा लेकर सबक सिखाने की आवश्यकता है।



कार्यवाही की। उस महिला से स्वयं मैंने जब बात की तो वो और उनका परिवार इस बात से परेशान थे कि उस अधिकारी को किस प्रकार सबक सीखाया जाए जबकि उस पर शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। यहां प्रश्न यह है कि जो मानसिक प्रताड़ना उस अधिकारी के कारण महिला कर्मचारी को हुई है, उसकी भरपाई क्या इस प्रकार के लोलुप अधिकारी से की जा सकती है ? क्या ऐसे अधिकारियों पर ठोस कार्यवाही करते हुए उन्हें दंडित नहीं किया

**हेम राज चौहान**  
संपादक, द रीव टाइम्स

Chauhan.hemraj09@gmail.com, 94184 04334















## सोलर चरखा मिशन



**सोलर चरखा मिशन ..... रोजगार के क्षेत्र में नया कदम**

# सोलर चरखा मिशन योजना

भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी गंभीर है। सरकार ने कई ऐसी योजनाओं का संचालन किया है, जो महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के अवसर पर सोलर चरखा मिशन के नाम से की गई। ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) द्वारा निर्भाई गई महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका को चिह्नित किया जा सके। इस योजना का संचालन माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गाँव में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो शिल्पकार भी हैं, लेकिन बेहतर प्रशिक्षण एवं उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें बेरोजगारी में रहना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए देश की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने मिल कर कई कदम उठाये हैं। सोलर चरखा मिशन एक ऐसी ही योजना है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण और उन्हें बेहतर रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी है। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि वे कपड़ों का निर्माण कर अपनी बेहतर आजीविका चलाने में सक्षम हो सकें। इस योजना के अंतर्गत पहले 2 वर्षों में कुल 550 करोड़ रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में खर्च करेगी। जिससे देश में करीब 5 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना द्वारा एक लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

सोलर चरखा मिशन से खासकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सरकार का लक्ष्य है इस योजना से 5 करोड़ भारतीय महिलाओं को जोड़ना। इस बड़ी योजना के द्वारा एक लाख से ज्यादा नौकरियों का अवसर लोगों को मिलेगा। सोलर चरखा मिशन को सरकार ने स्वीकृति दे दी है और 50 क्लस्टर में 550 करोड़ रुपए भी इस योजना में सब्सिडी के लिए स्वीकृति दिए जा चुके। हर एक क्लस्टर में लगभग 400 से 2000 कारीगर काम करेंगे। सरकार के अनुसार सोलर चरखा मिशन में लगभग 10000 करोड़ रुपए मात्र छोटे कंपनी सेक्टर में खर्च होने वाले हैं। यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत एक बेहतरीन पहल है। इसके लिए 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू किए जाएंगे जिनमें से 10 को इसी वर्ष शुरू करने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। यहां सेंटर सभी छोटे उद्यमियों को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

### सोलर चरखा मिशन के मुख्य उद्देश्य

- ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके कौशल के आधार पर नौकरी दिलाना।
- एक प्राकृतिक ऊर्जा संरक्षण का मॉडल बनाना है।
- खादी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना।
- हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
- गरीब लोगों के लिए स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

### सोलर चरखा योजना का उद्देश्य

- देश के पारंपरिक कला से सम्बंधित कुटीर, लघु एवं माध्यम उद्योग को बढ़ावा देना है।
- सोलर चरखा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत के प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना से महिला उद्यमियों को नए उद्यम लगाने के लिए प्रेरित करना है।
- खादी उद्योग में सूत कातने का काम ज्यादातर महिलाएं करती हैं। अतः सोलर चरखा के द्वारा सूत कम समय में ज्यादा तैयार होंगे। जिससे देश की महिलाएं की आय में वृद्धि होगी और वो स्वावलंबी बनेंगी।
- इस योजना के तहत सोलर चरखा के माध्यम से सूत तैयार करने में कम समय में ज्यादा उत्पादन होगा। पारम्परिक चरखे से बुनकर मजदूर दिन में 8 घंटे काम करने पर रुपए 160 कमाते हैं। वहीं सोलर चरखे के द्वारा दिन में रुपए 360 तक कमा पाएंगे। इस तरह उनके आमदनी में वृद्धि होगी।

- इस योजना का उद्देश्य बुनकर-शिल्पकार-सूत कातने वाले मजदूरों के आय में वृद्धि करना, तथा उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- खादी उद्योग को पुनर्जीवित करना है।

### सोलर चरखा योजना के लाभ

- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।
- सोलर चरखा योजना के माध्यम से सोलर ऊर्जा के उपयोग से नागरिकों को परिचित करवाना है।
- पर्यावरण सुरक्षा हेतु सोलर ऊर्जा को देश में बढ़ावा देना है।
- सोलर चरखा के उपयोग से बुनकरों और सूत कातने वाले मजदूरों की आय में वृद्धि करना है।
- इस योजना के माध्यम से देश भर में 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे, तथा प्रत्येक पंचायत में 1100 नए रोजगार का सृजन होगा।

### सोलर चरखा योजना का बिजनेस मॉडल



प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन दिया जायेगा। इस योजना के तहत सोलर ऊर्जा इकाई स्थापित करने का कुल खर्च 24,87,694/- रुपए है। इसमें से रुपये 22,38,925/ लोन बैंक से प्राप्त हो जायेगा, तथा बची हुई राशि का( मार्जिन मनी) रुपए 621924/ सब्सिडी सरकार की ओर से स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के एवज में चडम्ल के अंतर्गत मिलेगा। आपको अपने पास से लगाना है मात्र रुपए 248769/ और आपका सोलर चरखा प्रोजेक्ट लग जायेगा। इस उद्यम को लगाकर आप वार्षिक 80,000- 100000 रुपए तक कम सकेंगे।

### सौर चरखा मिशन के बारे में:

- सौर चरखा मिशन में 50 समूह शामिल होंगे।
- यह मिशन कारीगरों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- यह मिशन 50 क्लस्टर को कवर करेगा तथा प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2000 कारीगरों को नियुक्त करेगा।
- इस मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदिन कर दिया गया है।
- इस मिशन के लिए एमएसएमई मंत्रालय कारीगरों को 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित करेगा।
- सौर चरखा मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा, जो पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।
- सौर चरखा मिशन का मुख्य लक्ष्य देश भर में पांच करोड़ महिलाओं को जोड़ना है।
- इस योजना के तहत, सरकार पहले दो वर्षों के दौरान एक लाख

## लगाएं सोलर चरखा

₹2.5 लाख आपका खर्च



₹1 लाख महीने की कमाई

महिलाओं को नौकरियां देगी।

- सौर चरखा मिशन 2018 के तहत महिलाओं के लिए एक नया काम पाने का एक शानदार अवसर होगा।
- इस योजना को विशेष रूप से देश भर में महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है।

## सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अन्दर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।
- भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सा है। केन्द्रीय या राज्य सरकार और बैंकिंग एमएसएमई अधिनियम के तहत लाभ को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई पंजीकरण आवश्यक है।
- एमएसएमई क्षेत्र उद्यमशीलता के लिए प्रजनन भूमि की तरह होता है, जोकि अक्सर वैयक्तिक सृजनशीलता और नवाचार से संचालित होता है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 8 फीसदी, विनिर्मित उत्पादन में 45 और इसके निर्यात में 40 फीसदी का योगदान देता है।

## ब्लॉक और पंचायत स्तर पर मध्यवर्ती गोदाम

खाद्यान्नों के सहज और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर मध्यवर्ती गोदामों का एक नेटवर्क आवश्यक है। वर्तमान में, कई राज्यों में एफसीआई की भंडारण डिपुओं से खाद्यान्न उठाए जाते हैं और उचित दर दुकानों को सीधे भेज दिए जाते हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मध्यवर्ती स्तर पर भंडारण सुविधाओं, जहां से खाद्यान्न उचित दर दुकानों तक भेजा जा सकता है, के निर्माण की जरूरत पर समय-समय पर राज्य सरकारों पर दबाव डालता रहा है। पंचायत स्तर पर निर्मित इस तरह का गोदाम किसानों को अपनी फसलों को बेचने, स्टाफ रखने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

ऐसे गोदामों का निर्माण अब राज्य सरकारों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत प्रदान की गई निधि का उपयोग कर किया जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में उपयुक्त संशोधन कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के निर्माण योजना के अंतर्गत पात्र गतिविधियों में शामिल हो गया है।

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जेट द्वारा एसोसिएट प्रेस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा, प्रबन्ध सम्पादक : आनन्द नायर फोन नं. 0177 2640761, मेल: editor@themissionrivi.com RNI Reference No. 1328500

